न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 43/2025 G.C.M.S. No. 2025/220 दर्ज दिनांक : 16.05.2025

अपीलार्थीः

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र इन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी भारून्दा, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. निमेन्द्रसिंह पुत्र चंदनसिंह
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र चंदनसिंह
3. सायर कंवर पत्नि चंदनसिंह
4. सुरज कंवर पुत्री चंदनसिंह, जाति राजपूत, निवासी भारून्दा, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
5. दीपसिंह पुत्र भूरसिंह, जाति राजपूत, निवासी भारून्दा, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
6. स्वर्गीय अर्जुनसिंह पुत्र भूरसिंह के का.मु.–
   6/1 गुलाबसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, जाति राजपूत, निवासी भारून्दा, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
7. विक्रमसिंह पुत्र दीपसिंह, जाति राजपूत, निवासी भारून्दा, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली हाल निवासी बल्लुपुरा, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
8. स्वरूपसिंह पुत्र इन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी भारून्दा, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध संख्या 09/2023 बअनवान निमेन्द्रसिंह बनाम स्वरूपसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.02.2025 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकारः–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री सदाम काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री नवरतन अग्रवाल, श्री प्रकाश सोलंकी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 14.08.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध संख्या 09/2023 बअनवान निमेन्द्रसिंह बनाम स्वरूपसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.02.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 4 की ओर से एक राजस्व वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अपीलाण्ट व अन्य रेस्पोंडेण्ट के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया

Scanned with OKEN Scanner

कि खसरा नम्बर 799, 800, 801, 802, 803 की कुल रकबा 5.41 हैक्टेयर की कृषि भूमि स्थित है, जो 31 बीघा 11 बिस्वा है तथा यह भी निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्से में इन्द्रसिंह तथा 1/2 हिस्से में भूरसिंह रेकर्डेड खातेदार है तथा इन्द्रसिंह के दो पुत्र अपीलाण्ट लक्ष्मणसिंह तथा रेस्पोंडेण्ट संख्या 8 स्वरूपसिंह है। इन दोनों प्रत्येक एक का 1/4 हिस्सा है। अपीलाण्ट 1/4 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा रेस्पोंडेण्ट भूरसिंह के चार वारिश चन्दनसिंह, दीपसिंह, अर्जुनसिंह, छगनकंवर है। छगन कंवर की मृत्यु हो चुकी हैं, इस कारण भूरसिंह के हिस्से की भूमि में प्रत्येक एक 1/3 हिस्से के सहखातेदार है व चन्दनसिंह का 1/2 में 1/3 यानि 1/6 हिस्सा होना मानकर अधिनस्थ न्यायालय में वाद व दावा पेश किया तथा यह निवेदन किया कि अपीलाण्ट की 1/6 हिस्से में प्रतिवादीगण दखलअन्दाजी नहीं करें व भूमि का बेचाण व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करें। उक्त वाद व प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2023 को पेश किया गया, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2025 को रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 4 के पक्ष में मौके की व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2023 को पेश किया गया तथा दिनांक 27.02.2025 तक किसी भी प्रकार से अन्तरिम अनुतोष की कभी मांग नही की गई, न ही अंतरिम आदेश दिया गया तो दिनांक 27.02.2025 को अन्तरिम आदेश जारी किये जाने की कोई स्थिति नहीं थीं। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट रेकर्डेड खातेदार है व रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अन्तरिम स्थगन आदेश कृषि भूमि में काश्त करने से रोकने बाबत जारी नहीं किया जा सकता है तथा दिनांक 27.02.2025 के आदेश में यह स्पष्टीकरण नहीं हैं कि काश्तकार अपनी कृषि भूमि में काश्त करने हेतु स्वतंत्र है। रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 4 सिर्फ 1/6 हिस्से के उच्छब कंवर की मृत्यु के बाद ही हकदार है तथा 1/6 हिस्सा भी रेकर्ड में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 6 का नहीं हैं। रेकर्ड के अनुसार 4/32 रेस्पोंडेण्ट का हिस्सा दर्ज है तथा घोषणा का दावा रेस्पोंडेण्ट का नहीं हैं तथा जबरदस्ती अपने हिस्से से अधिक भूमि पर अतिक्रमण करने व अपीलाण्ट को बेदखल कर कब्जा करने व काश्त करने हेतु आमादा है, इस कारण से दिनांक 27.02.2025 को आदेश प्राप्त किया गया है तथा अपीलाण्ट दिनांक 29.04.2025 को अपनी कृषि भूमि में सूड करने व कृषि भूमि में खड़ाई करने हेतु गया तो रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 4 द्वारा मना कर दिया गया कि आप कृषि भूमि में काश्त नहीं कर सकते हैं, न ही सफाई कर सकते हैं, न ही खड़ाई कर सकते हैं तथा हल्का पटवारी ने 1/4 हिस्से में जो मौके पर पूर्व से काश्त करते आ रहे हैं, इस हिस्से पर काश्त करने का निवेदन किया, परन्तु हल्का पटवारी ने मना कर दिया कि अधिनस्थ न्यायालय का यथास्थिति बनाये रखने का आदेश है व भूमि खाली पड़ी हैं तो खाली ही पड़ी रहेगी।

Scanned with OKEN Scanner

क्योंकि आप काश्त नहीं कर सकते हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की मंशा के विरूद्ध रेकर्डेड खातेदार अपीलाण्ट को रोका गया, इस कारण से उक्त आदेश का निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्पष्ट आदेश नहीं होने के कारण अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 8 व अन्य रेस्पोंडेण्ट को अपनी काश्त से महरूम होना पड़ रहा है तथा रेकर्डेड खातेदार को काश्त करने का अधिकार है। रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 4 जो 1/8 हिस्से तक ही रेकर्ड के अनुसार अन्तरिम आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कृषि भूमि पर आदेश पारित कर दिया, जो विधि के प्रावधानों के विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त प्रथम सेटलमेन्ट के समय अपील में दर्ज खसरा नम्बर 799 से 803 तक के पुराने खसरान की भूमि का रकबा 33 बीघा से अलग था, परन्तु द्वितीय सेटलमेन्ट में उक्त रकबा 31 बीघा 11 बिस्वा ही कर दिया गया व मौके पर अपीलाण्ट व अन्य सहखातेदारान पुराने कब्जे व खातेदारी के आधार पर मौके पर काबिज है तथा वर्तमान में रेकर्ड में जमीन कम दर्ज है। रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 4 पड़ौस के खातेदारी विजयसिंह वगैरह से मिले हुए हैं तथा उसी कारण कम भूमि होने से अपीलाण्ट को विजयसिंह से मिलकर बेदखल करने हेतु आमादा है। जबकि अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट सभी 33 बीघा मौके की कृषि भूमि हैं, इस पर संयुक्त रूप से काबिज होकर अपने अपने हिस्सेनुसार काश्त कर रहे हैं तथा कृषि भूमि कम होने बाबत पूर्व से एक वाद सहायक कलक्टर सुमेरपुर में विचाराधीन है, जिसके वाद संख्या 52/2018 है। उक्त वाद का अनवान स्वरूपसिंह बनाम विजयसिंह है। स्वरूपसिंह रेस्पोंडेण्ट संख्या 8 है। उक्त वाद के साथ धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिसका प्रकरण संख्या 57/2018 है तथा स्थगन आदेश जारी नहीं होने पर लक्ष्मणसिंह द्वारा एक अपील श्रीमान के न्यायालय में पेश की गई, जो 14/2021 बअनवान लक्ष्मणसिंह बनाम विजयसिंह है तथा उक्त अपील में अपीलाण्ट के पक्ष में स्थगन आदेश होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य स्थगन आदेश अपीलाण्ट के हक अधिकार को प्रभावित करने के लिए विधिक भूल से आदेश पारित कर दिया गया। इसके साथ ही पूर्व वाद संख्या 52/2018 विचाराधीन है व उसमें घोषणा भी की जानी हैं तो रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 4 द्वारा जो दावा पेश किया गया वो पूर्व वाद के विचारण के रहते चलने योग्य नहीं हैं तथा अलग से अन्तरिम निषेधाज्ञा भी रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 4 प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। मूल वाद को पूर्व वाद के साथ समेकित किया जाना चाहिये था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी बिन्दुओं को नजरअंदाज करते हुए विधि की भूल पर अपीलाण्ट को यथास्थिति के आदेश से पाबन्द कर दिया तथा काश्त करने व उपयोग-उपभोग लेने से वंचित कर दिया, इस कारण से आदेश जैर अपील निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

Scanned with OKEN Scanner

म्याद एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2025 को पारित अंतरिम अस्थाई व्यादेश के विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 15.05.2025 को विलंब के साथ प्रस्तुत की हैं तथा विलंब के कारण के रूप में अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण की प्रतिलिपि दिनांक 01.05.2025 को प्राप्त होना अंकित किया है। जो प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में उभयपक्षकारान के मध्य वाद अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में दिनांक 27.02.2025 को उभयपक्षकारान को पाबंद करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया है। जो अपीलाधीन है। हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से निर्णित नहीं किया है तथा जब तक विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से निर्णित नहीं कर दिया जाता है, तब तक अपीलीय न्यायालय द्वारा ऐसे प्रार्थना पत्रों को गुणावगुण के आधार पर निर्णित नहीं किया जा सकता है। अतः हमारे विनम्र मत में इस स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।
3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से इसी स्तर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय आज दिनांक **14.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner